2018/00338

न्याय आपके द्वार FAPP.A

Form No- III

Crim. 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर मुकाम शपीहनगर कैम्प - गोरखपुर

एकचन्द डी० फकीरराम बनाम सरकार

बा - 21 PS

किस्म मकदमा रेड 6 नम्बर 35 सन् 2018

13-6-18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
13-6-18	आज पत्रावली शासन लोक अदालत अभियान "न्याय आप के द्वार-2018" के क्रम में अरल सेवा केन्द्र गोरखपुर में पेश हुई जहाँ एकचन्द डी० फकीर राम जाति नायक बा- 21 PS लोतेदार अपनी लोतेदारी भूमि पाने चक रामलखन कुम्हार के प० नं० 348/311 गु० नं० 8 के क्र० नं० 1-10-11-2021 धारा 0-125 ई० वाराणसी भूमि शान्ति स्वीकृत किया जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं है इस मौके लोतेदार एकचन्द व० फकीर राम ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया तदोपरान्त शपीहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 336 दि० 13/6/18 के द्वारा उक्त शान्ति प्रचलित को स्वीकृत करने की आदेश पारित की है वमय गोश्वारा व रिपोर्ट पटवारी, फर्द मौका, नकल जमाबन्दी, शपथ पत्र एकचन्द संलग्न किया गया। उक्त शान्ति प्रचलित पर सम्बन्धित पक्षकार ने अपनी सहमति दी तथा ग्राम पंचायत	एक पत्र रायसिंह अशोक कुमार Arvind Arvind

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी कि
	सहमति से अपनी खातेदारी अराजी रामसरा कुम्हान के प०न० 248/311 मु०न० 8 के कि०न० 1-10-11-20-21 कुल 0.125 हे० बागानी अराजी में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उस कोई एतराज नहीं है। ऐसी स्थिति तहसील से प्राप्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है उक्त विवेचन के आधार पर तथा पतराम टेकचन्द पु० फकीराराम जाटड़ा की सहमति व तहसीलदार रायसिंहनगर की आख्या दि० 13/6/18 के अनुसार ग्राम रामसरा कुम्हान के प०न० 248/311 के मु०न० 8 के कि०न० 1-10-11-20-21 कुल 0.125 हे० बागानी में रास्ता मौका पर प्रचलित को स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जावे। तहसीलदार के बाद आदेश जारी हो। जावली फैसले में शुमार होगा। शामिल दफ्तर हो। आदेश खुले अदालत में सुनाया गया राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प कोर्ट	

क्रमांक / 336
श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर